

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 828 /46/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	गुरु गोविन्द सिंह एजु0 सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	माता गुजरी महिला महा0 जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र अप्राप्त है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	नियमानुसार दस्तावेजों की पूर्ति की गई


7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		1. पीजीडीसीए —निरंक—

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 827/46/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 830/48/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	निचिकेता कालेज आफ कम्प्युटर साइंस वाणिज्य एण्ड एडवांस टेक्नोलॉजी जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	निचिकेता कालेज आफ कम्प्युटर साइंस वाणिज्य एण्ड एडवांस टेक्नोलॉजी जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. पीजीडीसीए . बी0ए0-प्रथम-हिन्दी, इतिहास, राजनीति, अति0वि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 प्रक्रियाधीन, संबद्धता नहीं, बैंक से भुगतान का प्रमाण पत्र नहीं, अग्रणी के प्रमाण पत्र के अनुसार 50 प्रतिशत से कम प्रवेश
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	नियमानुसार दस्तावेजों की पूर्ति की गई


7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1. पीजीडीसीए . बी0ए0-प्रथम-हिन्दी, इतिहास, राजनीति, अति0वि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरक—

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 821 / 48 / आउशि / सम्बद्धता / 17. भोपाल, दिनांक- 10 / 04 / 2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 822/16/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सर्वोदय सेवा समिति तेन्दुखेडा नरसिंहपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	संत मोनी सर्वोदय महिला महा10 तेन्दुखेडा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. एम0ए0-उत्तरार्द्ध हिन्दी एवं अर्थशास्त्र
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	अर्थशास्त्र विषय में कालेज कोड 28 में नियुक्ति नहीं है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	नियमानुसार दस्तावेजों की पूर्ति की गई

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1. एम0ए0-उत्तरार्द्ध अर्थशास्त्र
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरक—

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 823/16/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 832/47/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कोजेन्ट एजु0 सोसा0 जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	कोजेन्ट कालेज आफ हायर स्टडीज, जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम-राजनीति, इतिहास, समाज, अति0 अर्थशास्त्र
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. बी0काम0-द्वितीय-कम्प्युटर ए0, आनर्स 2. बी0बी0ए0
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति है, शिक्षकों हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न नहीं है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति नहीं है।

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	---निरंक---
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-प्रथम-राजनीति, इतिहास, समाज, अति0 अर्थशास्त्र 1. बी0काम0-द्वितीय-कम्प्युटर ए0, आनर्स 2. बी0बी0ए0

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-83/47/आरशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 834/25/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्रीराम आदर्श शिक्षा समिति सिवनी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	डी०पी० चतुर्वेदी वाणिज्य विज्ञान एवं कला महा० सिवनी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1. एल०एल०बी०-द्वितीय
5	आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय की संबद्धता, जीरो इयर प्रमाण पत्र/दाण्डिक शुल्क जमा नहीं किया गया है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	दाण्डिक शुल्क एवं जीरो इयर का प्रमाण पत्र अप्राप्त है।

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1. एल0एल0बी0-द्वितीय

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 825/25/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
  - 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
  - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उच्च शिक्षा, म.प्र.

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 818/74/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।


2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	संगम सेवा एवं महिला उत्थान समिति छतरपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	एँजिल महा0 सागर रोड छतरपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 584/378 /आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	मार्गदर्शिका की कंडिका 5(स) 1 अनुसार प्रारूप विचार योग्य नहीं है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के मान से विलंब शुल्क सहित दि0 13/01/2017 को नवीन महा0 एवं पाठ्यक्रम शुल्क जमा किया है किन्तु महा0 नगर पालिका में प्रस्तावित है इस प्रकार सही शुल्क जमा नहीं किया गया है।

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0ए0 2-बी0एससी0


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 8/9/74/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, छतरपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, छतरपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, छतरपुर संभाग, (म0प्र0)।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 816 /69/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।


2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	मौं भाग्यवर्धिनी सरस्वती शिक्षा समिति, पन्ना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महाराजा अग्रसेन महा० ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर पन्ना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी०ए०-हिन्दी, राजनीति, समाज 2-बी०एससी०-कम्प्यूटर साइंस, भौतिक गणित
4	आदेश क्रमांक - 584/378 /आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	1. समिति का नाम भाग्यवर्धिनी सरस्वती शिक्षा समिति है जबकि 30 वर्षीय लीजडीड में समिति का नाम भाग्यावर्धिनी सरस्वती शिक्षा समिति अंकित है। 2. भूमि डायवर्सन व्यावसायिक उपयोग के लिए है। 3. खेल मैदान की भूमि संबंधी कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 4. भवन पूर्णता प्रमाण 3940 वर्गफीट का है न्यूनतम 5,000 फीट आवश्यक है। 5. अग्रणी महा के निरीक्षण प्रतिवेदन के लिए भवन निर्माणाधीन बताया गया है अतः भवन अपूर्ण हो पार्किंग विकसित नहीं हैं। निरीक्षण के दौरान लिए गए चित्रों में भी भवन निर्माणाधीन की पुष्टि होती है।

5	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	भवन निर्माणाधीन होने के कारण ।	
6	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-हिन्दी, राजनीति, समाज 2-बी0एससी0-कम्प्युटर साइंस, भौतिक गणित


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ-अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 817/69/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, छतरपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, छतरपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, छतरपुर संभाग, (म0प्र0)।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ-अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 808/73/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।


3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	एस0सी जैन शिक्षा प्रसार समिति, छतरपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	पं0 देव प्रभाकर शास्त्री कन्या महा0 गढेवारा छतरपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0, 2-बी0काम0, 3-बी0एससी0.
4	आदेश क्रमांक - 584/378 /आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	धारा 27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची, धारा 21 की अनुमति नहीं है। डायवर्सन टेक्नीकल कॉलेज का है, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित करने संबंधी ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव नहीं है, खेल मैदान पार्किंग की जानकारी अप्राप्त, मार्च 2016 तक की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त।

5	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	धारा 27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची, धारा 21 की अनुमति नहीं है। डायवर्सन टेक्नीकल कॉलेज का है, ग्रामीण क्षेत्र में संचालित करने संबंधी ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव नहीं है, खेल मैदान पार्किंग की जानकारी अप्राप्त, मार्च 2016 तक की ऑडिट रिपोर्ट अप्राप्त ।
---	---------------------------------	--

6	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0ए0, 2-बी0काम0, 3-बी0एससी0.


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 809 /73/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, छतरपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, छतरपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, छतरपुर संभाग, (म0प्र0)।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 810 /57/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।


2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	शिक्षा वेलफेयर फाउण्डेशन ग्वालियर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	त्रिलियंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज महा0 निवानी जिला टीकमगढ़
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0, 2-बी0काम0-कम्प्यूटर एप्लीशन 3-बी0बी0ए0 4-बी0एससी0-भौतिक, गणित, रसायन, कम्प्यूटर साइंस, बाटनी जूलॉजी 5- बी0सी0ए प्रथम
4	आदेश क्रमांक - 584/378 /आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	1. किरायानामा अनुसार मूल खुला क्षेत्रफल 2240 वर्गफीट है। 2. खेल मैदान हेतु प्रस्तुत पंजीयन किरायानामा समिति के नाम न होकर अध्यक्ष के व्यक्तिगत के नाम से एवं शपथ पत्र का अभिप्रमाणन की कंडिका 2.1.6 के अनुसार कलेक्टर के द्वारा नहीं कराया गया है। 3. संस्था द्वारा प्रस्तुत किराये के भवन के नक्शे पर कक्षों की

		साइज का उल्लेख किया गया है। स्कूल का उल्लेख है। 4.. दस्तावेजों का सत्यापन अग्रणी महा0 के प्राचार्य द्वारा नहीं कराया गया है। 5. मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.5(क) 2 के अनुसार टीकमगढ़ जिले हेतु 20 कि.मी. की बाध्यता नहीं है, किन्तु कंडिका 2.1.5(ख) के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश संबंधी अग्रणी महा0 के प्राचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
5	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	नियमानुसार सभी कर्मियों की पूर्तिया की गई है।
6	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम 1-बी0ए0, 2-बी0काम0-कम्प्यूटर एप्लीशन 3-बी0बी0ए0 प्रथम 4-बी0एससी0-भौतिक, गणित, रसायन, कम्प्यूटर साइंस, बाटनी जूलॉजी 5-बी0सी0ए प्रथम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम —निरंक—


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 811 /57/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, छतरपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, छतरपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, छतरपुर संभाग, (म0प्र0)।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 812 /23/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।


2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	रुकमणी देवी शिक्षण एवं सामाजिक कल्याण समिति केवलारी जिला सिवनी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	उराग महाविद्यालय, केवलारी सिवनी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-प्रथम-बाटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, भौतिक एवं गणित
4	आदेश क्रमांक - 584/378 /आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	30 वर्षीय लीज में रकवा 0.06 है किन्तु निर्मित क्षेत्रफल में उल्लेख नहीं है, संलग्न नक्शे तथा लीजकर्ता के नाम भिन्न है, लीज रजिस्टर्ड प्रतीत नहीं होती है। पार्किंग हेतु कोई प्रमाणित अभिलेख संलग्न नहीं है। आवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में निर्मित क्षेत्रफल में भिन्नता है। दस्तावेजों का सत्यापन अग्रणी महा0 द्वारा नहीं कराया गया है।
5	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	नियमानुसार सभी कमियों की पूर्तियां की गई

6	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-प्रथम-बाटनी,केमिस्ट्री ,जूलॉजी, भौतिक एवं गणित
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 813 / 23 / आउशि / सम्बद्धता / 17. भोपाल, दिनांक- 10 / 04 / 2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, जबलपुर संभाग (म0प्र0)।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.